जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बकाया केवल मूल राशि जमा कराने पर पुनः जुड़ सकेगें कटे हुए घरेलू कनेक्शन

योजना 31 दिसम्बर, 2015 तक

जयपुर, 27 अक्टूबर। हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार अभियान में आयोजित शिविरों में घरेलू श्रेणी के विच्छेदित बिजली कनेक्शनों को पुनः बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गई रियायती योजना की अवधि बढाकर 31 दिसम्बर, 2015 कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व विच्छेदित कनेक्शनों को बिना विलम्ब शुल्क एवं ब्याज के केवल मूल बकाया राशि जमा कराने पर पुनः बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि इस रियायती योजना के तहत घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व विच्छेदित है और ऐसे उपभोक्ता यदि 31 दिसम्बर, 2015 तक पुनः कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर सम्पूर्ण मूल बकाया राशि जमा करा देते हैं तो उनकी सम्पूर्ण विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की छूट देने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को अधिकृत किया हुआ है।

इन्हे मिलेगा योजना का लाभ

– सभी घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनके कनेक्शन 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व विच्छेदित है।

– बकाया राशि के सम्बन्ध में कोर्ट में विचाराधीन केस वापस लेने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

– 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व कटे घरेलू बिजली कनेक्शन का री–कनेक्शन–यदि विद्युत तंत्र उपलब्ध है तो आर.सी. फीस लेकर कर दिया जाएगा और वितरण तंत्र उपलब्ध नही होने की स्थिति में वितरण तंत्र विस्तार की राशि टी.सी.ओ.एस.–2004 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेकर कनेक्शन पुनः कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह योजना बिजली चोरी या अनियमितता की राशि बकाया होने पर कटे हुए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए लागू नही होगी।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 311/2015